राजस्व वाद संख्याः—98 / 23
रामकिशन बनाम धर्मपाल वगै0
निर्णय दिनांकः— 20.06.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :— सुमन देवी II, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.—98 / 2023

दिनांकः—20/6/2025

1- रामकिशन पुत्र श्री गंगासहाय जाति खाती निवासी उरीका तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान

.... प्रार्थीगण

बनाम

1. धर्मपाल पुत्र शिशराम जाति जाट निवासी उरीका तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
2. राजपाल पुत्र शिशराम जालि जाट निवासी उरीका तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
3. सुभाषचन्द पुत्र शिशराम जाति जाट निवासी उरीका तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
4. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बलौदा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान जरिये शाखा प्रबन्धक।
5. राजस्थान सरकार (भूमिधारी) तहसीलदार सूरजगढ तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं राजस्थान।

....

अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता

प्रार्थीगण की और से— श्री सोमवीर सिंह एड.

अप्रार्थीगण की और से—श्री मदन सिंह राठोड़ एड.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने जरिये वकील पेश किया प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि तहसील सूरजगढ़ ग्राम उरीका में आवेदक खेत खसरा नम्बर 404 में बने पुख्ता कुआं व रिहायशी मकानात में आने जाने बाबत व आवेदक का पुत्र व पुत्रवधु पैर से

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

विकलांग है जो आ जा नहीं सकते व आवेदक का पौता सुगर का मरीज है जिसको दिन में एक बार डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है व वाहन, उंट गाड़ा, ट्रैक्टर, मवेशी आदि को लाने ले जाने बाबत खसरा नम्बर 403 रकबा 3.21 हैक्टर के दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर 12 फुट चौड़ा रास्ता खसरा नम्बर 404 में जाने के लिये नजरी नक्शा दर्शित मार्क ए से बी के अनुसार रास्ता घोषित किया जाने तथा मौका पर अवरुद्ध होने पर खुलवाये जाने का आदेश दिया जावें। आवेदकगणं को अपने खेत में जाने के लिए मार्क ए से बी स्थान तक रास्ता धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कायम किया जावे। आवेदकगण डी0एल0सी0 दर से रास्ते की भूमि का भुगतान करने या काश्तकार को बदले में भूमि देने के लिये तैयार है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन नकल प्रार्थना पत्र भेजकर करवाई गई । अप्रार्थीगण संख्या 01, 02, 03 की और से श्री मदन सिंह राठौड़ एड0 ने वकालतनामा पेश किया गया। वकिल पक्षकारान उपस्थित व तहसीलदार से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख नकल जमाबंदी सं0 2074–77, नक्शा ट्रेस, हल्का पटवारी की रिपोर्ट।

बहस सुनी गई।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । तहसीलदार सूरजगढ़ की मौका रिपोर्ट कमांक राजस्व/2023/232 दिनांक 19.03.2024 का अवलोकन किया गया जिसमें बताया गया की प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता के अलावा अन्य कोई सुविधाजनक रास्ते का विकल्प नहीं है। उक्त भूमी में से पूर्व में कोई रास्ता स्वीकृत नहीं किया गया है तथा उक्त ख. नं. मे कोई प्रचलित रास्ता नही है। खसरा नम्बर 403 से खसरा नम्बर 40 में जाने हेतु 140 मी. लम्बाई का नया रास्ता कायम किया जाना न्यायोचित है। उक्त रास्ते के अलावा आवेदक अन्य कोई सुविधाजनक रास्ते का विकल्प नहीं है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। इस प्रकार न्यायालय भू0 अ0 निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 19.03.2024 के साथ पेश नजरी नक्शा में दर्शित ख0न0 403 के दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे अंकित रास्ता 140 मी. तक नया रास्ता कायम किया जाना न्यायोचित पाता है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर फर्द मौका रिपोर्ट में डोटेड लाईन बिन्दु संख्या द्वारा अंकित रास्ता खेत ख0न0 403 के दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे खसरा न0 404 वाके ग्राम उरीका में आने जाने के लिए 140 मीटर चौड़ा लम्बा व

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्या:—98 / 23
रामकिशन बनाम धर्मपाल वगै0
निर्णय दिनांक:—20 .06.2025

12 फुट चोड़ा रास्ता कायम किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 के खेत मे से रास्ते में जाने वाली 560 वर्गमीटर भूमि के बदले प्रार्थीगण द्वारा उसको भूमि की निर्धारित डीएलसी दर से दुगुनी राशि दी जावें। फर्द मौका रिपोट प्रार्थना पत्र का ही भाग रहेगा। रास्ते में स्थित पेड़ वगैरह को हटवाये जाने का हर्जा खर्चा आवेदकगण द्वारा वहन किया जावेगा। तहसीलदार सूरजगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह राशि जमा होने पर आदेशानुसार रास्ते को गै0मु0 रास्ता कायम कर पृथक से खसरा नम्बर व रकबा कायम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर, बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुमन देवी ॥)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन उप जिला कलक्टर
सूरजगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 20/06/2025......... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से सरे इजलास में सुनाया गया।

(सुमन देवी ॥)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन उप जिला कलक्टर
सूरजगढ़

उपखण्ड अधिकारी